



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240631
CG-DL-E-29112022-240631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5282]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944

No. 5282]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

का.आ. 5512(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले में विशेष रेल परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सम्बन्धित भाग "न्यू रेवाड़ी — कुम्भावास रेलवे लाईन" के लिए अपेक्षित है, का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी, हरियाणा प्रदेश को, लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी कोई जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात्, अपने आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ(3) के अनुसार, धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, के लिए हरियाणा प्रदेश के जिला रेवाड़ी में, परिसम्पत्ति सहित अथवा परिसम्पत्ति रहित, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम—रेवाड़ी,

राज्य का नाम—हरियाणा

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल			भूमि की प्रकृति
				कनाल	मरला	हेक्टेयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	रेवाड़ी	लिसाना	74 / / 9	0	2	0.0043	कृषि
			74 / / 18	0	0	0.0007	कृषि
			74 / / 7 / 2	0	5	0.0120	कृषि
			74 / / 6	0	5	0.0137	कृषि
			74 / / 25 / 2	0	2	0.0059	कृषि
			68 / / 1	0	7	0.0172	कृषि
			63 / / 22 / 1 और 2	0	1	0.0019	नहर हरियाणा सरकार / कृषि
			64 / / 21	0	17	0.0432	कृषि
			65 / / 13	0	5	0.0123	कृषि
			योग	0	44		
			या	2	4	0.1112	
(2)	रेवाड़ी	डोहकी	0 / / 221	0	8	0.0202	रास्ता ग्राम पंचायत
			35 / / 2	0	9	0.0228	कृषि
			35 / / 3	0	8	0.0191	कृषि
			19 / / 22	0	3	0.0077	कृषि
			योग	0	28		
			या	1	8	0.0698	
(3)	रेवाड़ी	गोकलगढ (भाग-1)	78 / / 13 / 2	0	2	0.0050	रेलवे
			79 / / 2	0	0	0.0006	कृषि
			71 / / 15	0	1	0.0025	कृषि
			50 / / 23 / 1 और 2	0	12	0.0300	नहर हरियाणा सरकार / कृषि
			51 / / 9	1	6	0.0653	कृषि
			51 / / 3	0	12	0.0314	कृषि
			51 / / 1 / 2	0	1	0.0020	कृषि
			51 / / 4	0	17	0.0419	कृषि
			51 / / 2	1	14	0.0867	कृषि
			योग	2	65		
			या	5	5	0.2654	
(4)	रेवाड़ी	गोकलगढ (भाग-2)	16 / / 9	0	17	0.0436	कृषि
			16 / / 8 / 1	0	5	0.0118	कृषि
			16 / / 8 / / 2 / 1 और 2	0	12	0.0312	कृषि / हरियाणा राज्य विद्युत परिषद
			16 / / 7	3	13	0.1840	कृषि / रेलवे भूमि
			16 / / 14	2	10	0.1273	कृषि / रेलवे भूमि
			0 / / 477	0	13	0.0330	रास्ता ग्राम पंचायत
			15 / / 19	0	19	0.0491	कृषि
			14 / / 20	0	1	0.0027	कृषि
			30 / / 14 / 1	0	7	0.0174	कृषि
			32 / / 1 / 2	0	1	0.0030	कृषि
			32 / / 2	3	16	0.1673	कृषि
			योग	8	114		
			या	13	14	0.6704	

		सकल योग	22	11	1.1168
--	--	---------	----	----	--------

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2357]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

S.O. 5512(E).—Whereas, In exercise of the powers confirmed by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto is required for the purpose of "New Rewari – Kumbhawas Railway line" a part related to Special Railway Project Dedicated Freight Corridor Project in the district Rewari of Haryana State, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, District Revenue Officer, Rewari, Haryana State, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

As per sub-section (3) of the section 20D any order by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Rewari for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor Western in the State of Haryana.

Name of District- Rewari

Name of State-Haryana

Serial Number	Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Area to be proposed for land Acquisition			Nature of land
				Kanal	Marla	Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Rewari	Lisana	74/9	0	2	0.0043	AGRICULTURAL
			74//18	0	0	0.0007	AGRICULTURAL
			74//7/2	0	5	0.0120	AGRICULTURAL
			74//6	0	5	0.0137	AGRICULTURAL
			74//25/2	0	2	0.0059	AGRICULTURAL
			68//1	0	7	0.0172	AGRICULTURAL
			63//22/1 and 2	0	1	0.0019	CANAL HARYANA STATE / AGRICULTURAL
			64//21	0	17	0.0432	AGRICULTURAL
			65//13	0	5	0.0123	AGRICULTURAL
			Total	0	44		
			or	2	4	0.1112	
(2)	Rewari	Dohaki	0//221	0	8	0.0202	RASTA GRAM PANCHYAT
			35//2	0	9	0.0228	AGRICULTURAL
			35//3	0	8	0.0191	AGRICULTURAL

			19//22	0	3	0.0077	AGRICULTURAL
			Total	0	28		
			or	1	8	0.0698	
(3)	Rewari	Gokalgarh Part – 1	78//13/2	0	2	0.0050	RAILWAY
			79//2	0	0	0.0006	AGRICULTURAL
			71//15	0	1	0.0025	AGRICULTURAL
			50//23/1 and 2	0	12	0.0300	CANAL HARYANA STATE / AGRICULTURAL
			51//9	1	6	0.0653	AGRICULTURAL
			51//3	0	12	0.0314	AGRICULTURAL
			51//1/2	0	1	0.0020	AGRICULTURAL
			51//4	0	17	0.0419	AGRICULTURAL
			51//2	1	14	0.0867	AGRICULTURAL
			Total	2	65		
			or	5	5	0.2654	
(4)	Rewari	Gokalgarh Part – 2	16//9	0	17	0.0436	AGRICULTURAL
			16//8/1	0	5	0.0118	AGRICULTURAL
			16//8/2/1 and 2	0	12	0.0312	AGRICULTURAL / HARYANA STATE ELECTRICITY BOARD
			16//7	3	13	0.1840	AGRICULTURAL / RAILWAY
			16//14	2	10	0.1273	AGRICULTURAL / RAILWAY
			0//477	0	13	0.0330	RASTA GRAM PANCHYAT
			15//19	0	19	0.0491	AGRICULTURAL
			14//20	0	1	0.0027	AGRICULTURAL
			30//14/1	0	7	0.0174	AGRICULTURAL
			32//1/2	0	1	0.0030	AGRICULTURAL
			32//2	3	16	0.1673	AGRICULTURAL
			Total	8	114		
			or	13	14	0.6704	
		Grand Total		22	11	1.1168	

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2357]

PANKAJ TYAGI, Executive Director, (L&A)